

संश्लेष

प्रति. प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या:- प्राविच/परिषद/सम्बद्ध/2021/2537

संख्या: दिनांक: 09/08/2021

:संश्लेष पत्र:-

प्रतिष्ठित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/एनटी ईएडविकास और प्रमोशन, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक रूप 2021-22 हेतु निर्धारित भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार में सम्बद्ध/सम्बद्ध विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 09/08/2021 को परिषद/संश्लेष में सम्बद्ध समिति की बैठक संख्या 100। बैठक में समिति द्वारा रूप 2021-22 हेतु निर्धारित नई संस्थाओं को सम्बद्ध पूर्व से संवर्धित संस्थाओं को सम्बद्ध विस्तार/पार्यक्रम/प्रवेश समया वृद्धि सहित अन्य सटीक विचार किये गए रूप 2021-22 हेतु सम्बद्ध/सम्बद्ध विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्ध समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा रूप 2021-22 हेतु निर्धारित 1500 के अतिरिक्त पार्यक्रम एवं प्रवेश प्रदान करने हेतु सम्बद्ध विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का पता एवं PIN : 4468-AJLIANA INSTITUTE OF TECHNICAL EDUCATION,VILL- SANKRAOLI MADUPUR,POST- AJGARA,RAMGANJ,PRATAPGARH

क्र.सं.	पार्यक्रम का नाम	सं.सं(जीसीटीईई)/पीसी(आई) द्वारा रूप 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा रूप 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
5	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60

सम्बद्ध हेतु सटी

- ✓ संस्था ए(आई)सी(टी)ई(ई)/पीसी(आई) द्वारा निर्धारित की गयी सभी सटीक पूर्वतः प्राप्त करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनवली 1962, संशोधन

विनिर्देशनकी 2014 तथा अन्य विहित विधियों एवं अर्दों का अनुपालन करती तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों (तीनों चतुर्वर्षिकों) हेतु रु० 30150.00/- इतिहास, दो वर्षों (दोनों चतुर्वर्षिकों) हेतु रु०-45000.00/- इतिहास एवं एक वर्ष (एक वर्षीय चतुर्वर्षिकों) हेतु वर्षीय चतुर्वर्षिकों के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- इतिहास शुल्क ही वार्षिक आयकर से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त आयकरवर्षों से शुल्क के सम्बन्ध में समग्र-समग्र पर करण द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले सार्वजनिक धारणी होने, और अनुसूचित कार्यवाही किया जाने आवश्यक होगा। वीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु वीस का पुनर्निर्धारण किया जाय है, तो वीस की नवीकरण ही अनु होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त) प्रविधिक शिक्षा समिति तथा उप समिति, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाने। विनिर्देशनकी 2006 की धारा का अनुपालन करण होगा।
- ✓ संस्था में अनुसूचित प्रवेश परीक्षा द्वारा आवेदन करने को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों के विफल रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समग्र-समग्र पर निर्देश कार्यालय के अनुसूचित शिक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा कराये होगा।
- ✓ संस्था को 02.08.2014 से 01.08.2014 तक से अगली सत्र हेतु अनुसूचित चयन किया जाने आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बताये गये विधि-विधानों-अधिकारिता-सम्बन्धी-विधियों एवं निर्देशक, प्रविधिक शिक्षा, उपाय, अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परीक्षा, उपाय तथा प्रविधिक शिक्षा परीक्षा, उपाय द्वारा बताये गये विधानों, विनिर्देशन, अर्दों, निर्देशों का पालन करने के निर्देश प्राप्त होगी।
- ✓ विनियम इन कार्यवाही चतुर्वर्षिकों की अन्तर्गत यदि वी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुसूचित चयन करने में अक्षम रहती है तो इस सम्बन्ध में समस्त उपरोक्त विनियम संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रविधिक शिक्षा परीक्षा, अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परीक्षा, प्रविधिक शिक्षा निर्देशक एवं प्रविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई भी दावा किया जाय है तथा दावा बंद के सम्बन्ध में स. न्यायपालना द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी अर्दों निर्देश किया जाय है तो समस्त प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विनियम इन कार्यवाही चतुर्वर्षिकों अर्थात् करने वाली संस्थाओं को अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परीक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वार्षिक रूप से लिए जायेगा। प्रवेश हेतु सार्वजनिक प्राप्त होने के पूर्व फीस/अर्दों से अनुसूचित चयन का परीक्षा कार्यवाही को उपरोक्त करण होगा अन्तर्गत उन्हीं प्रवेश की (सार्वजनिक के माध्यम से अपना संस्था सत्र पर होने प्रवेश) अनुसूचित नहीं प्राप्त की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्देश नवीकरण उपरोक्त विधानों का अनुपालन करण आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की वित्तीयिक वृद्धि भूमि, सत्र, सत्र-अर्द, उन्मत्त, चयन किया जाने प्राप्त शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का डिजिटल उपरोक्त करण होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-विकास हेतु अनुसूचित व्यय/सहायता उपरोक्त करने के साथ शिक्षा लेखों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यय/सहायता सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में सार्वजनिक/सार्वजनिक चतुर्वर्षिकों को चयन करने हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपरोक्त कार्य गये अतिरिक्त, भूमि-अर्द, कार्यवाही, उपरोक्त द्वारा ही का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य चतुर्वर्षिक के संचालन में प्रवेश किया जाय है और परीक्षा को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का

इसके किसी अन्य कार्य के लिए का रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्ध शाखा विद्ये जने की अनुमति की जायेगी।

- ✓ संस्था के स्थायी निर्देशन दिये गए संस्था में भूमि, काल, परामर्शदाता, उपकरण एवं अन्य साधन-सामान साक्षात्कारी/परीक्षार्थी/अभ्यर्थी/अभ्यर्थिका के सम्बन्धित उपस्थिति नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्ध शाखा पर ही जायेगी।
- ✓ सम्बद्ध शाखा का अनुमति न मिले जने अथवा शाखा का उपस्थित मिले जने की स्थिति में विद्ये/अभ्यर्थी/अभ्यर्थिका को सम्बद्ध शाखा की जायेगी।

(सुरीश कुमार सोनकर)

सचिव

सूचक- अभ्यर्थी/अभ्यर्थिका सम्बद्ध/2021/3538-4889

दिनांक: 09/08/2021

पते/सि-:

राज्यालय निर्देशक, ANJANA INSTITUTE OF TECHNICAL EDUCATION, VILL - SANKRAOLI
MADUPUR, POST - AJGAR, RANIGANJ PRATAPGARH

(सुरीश कुमार सोनकर)

सचिव